्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

ासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
ास्व वाद संख्या : 222/2019
CMS NO. : 2019/00262

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

रामचन्द्र पुत्र हरीशचन्द्र
राजूराम पुत्र हरीशचन्द्र
प्रेमचन्द पुत्र हरीशचन्द्र
मोतीराम पुत्र हरीशचन्द्र
बिदामीदेवी पत्नी हरीशचन्द्र
लीला पुत्री हरीशचन्द्र
पिस्ता पुत्र हरीशचन्द्र
सभी जातियान– माली, निवासीगण–
ग्राम लिलरिया(आनन्दपुर कालू)
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राज0।

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला– पाली (राज)

ास्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी ाधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.27/11/2019

ास्थितः– 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता वादीगण।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः– 28/12/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती ान्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व ाधिनियम 1955. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद ाजा लिलरिया, पटवार हल्का आ0कालू चक प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ा0कालू तहसील जैतारण में वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा ाबर 249/2 रकबा 01–17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 256 रकबा ा–01 बीघा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 00–01 बीघा ास्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 02–00 बीघा किस्म चाही सोयम, ा रकबा 03–19 बीघा एवं खसरा नम्बर 255 रकबा 0–13 बीघा किस्म गै0मु0 ा खसरा 01 कुल रकबा 00–13 बीघा एवं सरहद मौजा आनन्दपुर कालू कालू–2 ावार हल्का आ0कालू–2 के खसरा नम्बर 104 रकबा 00–13 बीघा किस्म गैर ाकिन बेरा, खसरा नम्बर 105 रकबा ... किस्म चाही सोयम कुल ासरा 02 कुल रकबा 332–11 बीघा की आई ... है जिसकी नकल जमाबन्दी ावत् 2074 से 2077 की प्रमाणित फोटो प्रति ... पेश किये जा रहे है ासे दावे का एक भाग माना जावे। ... की भूमि वादी के ातैनी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें वादी व... का बोल चाल का ाथीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया था जो वादी का घर का नाम हाथीराम पुत्र ानाराम, जाति माली दर्ज है। जो कि एक रॉन्ग एन्ट्री है। वादी का नाम रिकॉर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

शचन्द्र पुत्र मानाराम जाति माली है। जिस बाबत् भारत निर्वाचन आयोग का वान पत्र, बिजली बिल, पेन कार्ड, राजस्थान का परिवार राशनकार्ड व सरहद मौजा 0कालू के खसरा नम्बर 695/6 रकबा 06-04 बीघा में वादी का सही नाम शचन्द्र पुत्र मानाराम दर्ज है। जिसकी प्रति दावे के साथ पेश की जा रही है। जिसे का भाग माना जावें। वादी का सही नाम हरीशचन्द्र ही है जो सभी दस्तावेजात स्पष्ट है। वादीगण के पिता हरीशचन्द्र की मृत्यु दिनांक 03.02.2018 को हो गई सका मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति साथ पेश की जा रही है। दिनांक 10.10. 019 को पटवारी हल्का आ0कालू को प्रार्थीगण ने अपने पिता फौतेदगी म्युटेशन दर्ज रने बाबत् निवेदन किया लेकिन पटवारी हल्का ने मना कर दिया और कहा कि पके पिताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में हाथीराम दर्ज है इसलिये नाम दुरूस्ती के ये एसडीएम कोर्ट से आदेश लेकर आओ। उसके बाद वादी का श्रीमान् जी के यालय में घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करनें के अलावा और कोई विकल्प ा नहीं होने के कारण से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान रकार के कर्मचारी व अधिकारी है इनके विरूद्ध दावा करनें से पूर्व दो माह का धिक नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने से ह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है। न्यायालय की अनुमति बाबत् रा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाया दावा नांक 10.10.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पिता के नाम से फौतेदगी यूटेशन दर्ज करनें से मना करनें व हाथीराम पुत्र मानाराम माली के स्थान पर रीशचन्द्र पुत्र मानाराम माली करनें से मना करनें पर बमुकाम जैतारण पैदा हुआ है श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस स्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जांच एवं थ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादीगण ग्राम लिलरिया के जस्व रेकर्ड में दर्ज हाथीराम पुत्र मानाराम के स्थान पर हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम दर्ज राना चाहते है जो वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वयं सिद्ध करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली य दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर र कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार :-

. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लिलरिया, पटवार हल्का 10कालू चक प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू के खसरा नम्बर 249/2 कबा 01-17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 256 रकबा [illegible] 1 बीघा स्म गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नम्बर 257/2 रकबा [illegible] बीघा [illegible] ोयम, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 02-00 बीघा किस्म चाही सोयम कुल रकबा 3-19 बीघा एवं खसरा नम्बर 255 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै0[illegible] एवं सरहद ौजा आनन्दपुर कालू कालू-2 पटवार हल्का आ0कालू-2 के खसरा नम्बर 104 कबा 00-13 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 105 रकबा 331-18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 332-11 बीघा की कृषि भूमि वादीगण संख्या 01 से 04, 06 व 07 के पिता तथा वादी संख्या 05 के पति नाम बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादीगण संख्या 01 से 04, व 07 के पिता तथा वादी संख्या 05 के पति का त्रुटिपूर्ण नाम हाथीराम पुत्र ाराम घरेलू बोलचाल के कारण सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी वादीगण संख्या 01 से 04, 06 व 07 के पिता तथा वादी संख्या 05 के पति सही एवं वास्तविक नाम हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम जाति माली है। अतः वादीगण रिये घोषणात्मक डिक्री भू-अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवानें अधिकारी हैं।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादीगण दपत्र को स्वयं सिद्ध करें।

वादग्रस्त आराजी के जमाबन्दी प्रदर्श-1 सम्वत् 2074 से 2077 एवं प्रदर्श-2 म आ0कालू की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में हाथीराम पुत्र मानाराम म माली सा. देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 हाथी पि. माना सा. देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श-4ए हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम का यु प्रमाणपत्र, प्रदर्श-5ए ग्राम आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा नम्बर 695/6 जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077, प्रदर्श-6ए हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम का भारत र्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श-7ए हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम का ाकार्ड, प्रदर्श-8ए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम नाम जारी विद्युत कनेक्शन बिल, प्रदर्श-9ए हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम का परिवार शन कार्ड इत्यादि में वादीगण संख्या 01 से 04, 06 व 07 के पिता तथा वादी ख्या 05 के पति का नाम हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम अंकित है।

वादी प्रेमचन्द पुत्र हरीशचन्द्र जाति- माली निवासी लिलरिया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र W-1 पेश कर शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक तैनी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें हम वादीगण के पिता का नाम घर का लचाल का नाम हाथीराम राजस्व रेकर्ड में तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा दर्ज कर या गया जो कि एक रोन्ग एन्ट्री है तथा वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक म हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम है। गवाह अमराराम पुत्र हापूराम जाति माली निवासी लिरिया द्वारा साक्ष्य शपथ पर वादपत्र में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुये यह थन किया है कि वादग्रस्त आराजी में दर्ज हाथीराम पुत्र मानाराम एक रोन्ग एन्ट्री , वादीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम है।

. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि उपलब्ध स्तावेजात, साक्ष्य वादी एवं गवाह साक्ष्य शपथपत्र आदि से यह [illegible] हैं कि दग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज हाथीराम पुत्र मानाराम एवं [illegible] पुत्र ानाराम जाति माली निवासी आ0कालू वस्तुतः एक ही व्यक्ति है [illegible] खातेदार का ही एवं वास्तविक नाम हाथीराम पुत्र मानाराम न होकर हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम है। त्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर
गी किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत रा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान -राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार या जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लिलरिया, पटवार हल्का आ0कालू क प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू के खसरा नम्बर 249/2 रकबा 1–17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 256 रकबा 00–01 बीघा किस्म र मुमकिन बाड़ा, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 00–01 बीघा किस्म चाही यम, खसरा नम्बर 265 रकबा 02–00 बीघा किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 4 कुल रकबा 03–19 बीघा एवं खसरा नम्बर 255 रकबा 0–13 बीघा किस्म 0मु0 एवं सरहद मौजा आनन्दपुर कालू– चक 2 पटवार हल्का आ0कालू–2 के सरा नम्बर 104 रकबा 00–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 05 रकबा 331–18 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 32–11 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि *ड़ाथीराम पुत्र मानाराम''* को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का ही एवं वास्तविक नाम *''हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम''* दर्ज करते हुये इनके हिस्से क हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का ग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
इजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

नचन्द्र पुत्र हरीशचन्द्र
भूराम पुत्र हरीशचन्द्र
नचन्द पुत्र हरीशचन्द्र
तीराम पुत्र हरीशचन्द्र
दामीदेवी पत्नी हरीशचन्द्र
ला पुत्री हरीशचन्द्र
स्ता पुत्र हरीशचन्द्र
भी जातियान- माली, निवासीगण-
म लिलरिया(आनन्दपुर कालू)
हसील- जैतारण, जिला- पाली
ज0।

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला- पाली (राज)

स्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 222/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व सरकारी कार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म या जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 8, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व धिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लिलरिया, पटवार हल्का आ0कालू चक प्रथम भू भिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू के खसरा नम्बर 249/2 रकबा 01-17 बीघा स्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 256 रकबा 00-01 बीघा किस्म गैर मुमकिन ड़ा, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 00-01 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा म्बर 265 रकबा 02-00 बीघा किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 3-19 बीघा एवं खसरा नम्बर 255 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै0मु0 एवं रहद मौजा आनन्दपुर कालू- चक 2 पटवार हल्का आ0कालू के खसरा नम्बर 04 रकबा 00-13 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 105 रकबा 31-18 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 32-11 बीघा बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि *"हाथीराम पुत्र मानाराम"* को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम *"हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम"* दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक हरीशचन्द्र पुत्र मानाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। ावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा ें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/12/2021 को री किया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

हर

ुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
ाम्प अर्जी दावा	03–00		स्टाम्प वकालतनामा		
ाम्प वकालतनामा	01–00		स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
़नताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान	02–00		फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	06–00		मिजानः–	–Nil–	

ोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए लाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:52 IST
Reason: SelfAttested